

UNIVERSITY OF DELHI

दिल्ली विश्वविद्यालय

Form of Application for Issue of University Certificate विश्वविद्यालय-प्रमाणपत्र के लिए प्रार्थना-पत्र (Provisional, Migration, Medium of Instruction Certificate) (अनन्तिम, प्रवास, प्रशिक्षण माध्यम प्रमाण-पत्र के लिए) (To be filled in by the Applicant-Before filling in the form,

see instructions on reverse)
(प्रार्थी स्वयं भरें-फार्म भरने से पहले पिछली ओर निर्देश खें)

	(श्राजा (जन गर गरा		111111111111111111111111111111111111111		
	Name of Applicant आवेदक का नाम				
2.	Father's Name				
	पेता का नाम	माता का नाम			
	University Enrolment No. विश्वविद्यालय नामांकन संख्या			5	
-	Name of Class and College from which the Candidate took the last examination परीक्षार्थी ने पिछली परीक्षा जिस कॉलेज में दी थी उसका नाम और कक्षा				
-	Nature of Certificate होन-सा प्रमाण-पत्र चाहिए			N. C.	
	PARTICULARS OF LAST EXAMINATION : अन्तिम परीक्षा का विवरण	×			
	ExaminationYear परीक्षा वर्ष	वर्ष वार्षिक/अनुपूरक		अनुक्रमांक	
	- Professional Committees	Passed/Failed/AbsentMarks Obtained : उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित प्राप्तांक			
	Postal Address पत्राचार का पता Permanent Address				
-	स्थाया पता Phone No Mobile No			20 Company (1997) 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997	
	दुरभाव	— मोबाइल			
	 (i) Name of the University to which the candidate परीक्षार्थी किस विश्वविद्यालय में जाना चाहता है। (ii) Course/Courses pursuing separately or simultan अलग-अलग या एक साथ कौन-से पाट्यक्रमों के वि 	eously			
Dated			Signature of Applicantआवेदक के हस्ताक्षर		
(To	be filled in by the College/Deptt./Institution/Office वेदक अन्तिम बार जिस कॉलेज/विभाग/संस्था में था, उसके Certified that the above entries made by प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने ऊपर जो प्रविष्टि	कार्यालय द्वारा भ / the applica (Mei टयाँ भरी हैं वह स	nt are correct	ear)	
	सभी भुगतान कर दिया है। (माह और वर्ष का उल्लेख 2:- Where a student has joined more than one cor application should be signed by the respective	arse, the	Principal/Hea प्रधानाचार्य/विभाग	d of the De t./Institution गाध्यक्ष/संस्था ।	
नोट:	of the Deptts./Institutions concerned. जब किसी छात्र ने एक से अधिक पाट्यक्रमों में प्रवेश लिया हो तो आवेदन पर सभी संबंधित विभागाधयक्षों/संस्था-प्रमुखों के हस्ताक्षर होने चाहिए			College/Deptt./Institution) /संस्था की मुहर)	
	Office use only				
	eived the above Certificate No वित प्रमाण-पत्र संख्या	Dated दिनांक		को त हुआ	
			* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Signa . re of the Applicant आवेदक के हस्ताक्षर	
Da दिन	ied			Dated दिनांक	

INSTRUCTIONS निर्देश

- 1. The particulars of the student given in the Application Form should correspond with those given in his/her matriculation/secondary school certificate or equivalent examination. Application from must be signed by the student and in no case by someone else on his/her behalf. विद्यार्थी द्वारा फार्म में दी गई जानकारी मैट्रीक्तुलेशन अल्जा संकेण्डरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा तुल्यमान परीक्षा के अनुरूप होनी चाहिए। प्रार्थना पत्र आवश्यक रूप में विद्यार्थी द्वारा इस्ताक्षरित होना चाहिए और किसी भी स्थिति में केल अन्य व्यक्ति उसके एवज में इस्ताक्षर नहीं करेगा/करेगी।
- The prescribed Fee for the required Certificate can be remitted through Electronic/Digital mode i.e. online through Debit/Credit Card and Internet Banking, through the Misc. fee Portal which can be accessed on the link http://misconlinefee.du.ac.in or by Postal Order or by Demand Draft (payable at Delhi/New Delhi only) drawn in favour of the Registrar, University of Delhi, Delhi-110007. अपेक्षित प्रमाण-पत्र के लिए निर्धारित शुल्क को लिक http://misconlinefee.du.ac.in. पर उपलब्ध विविध शुल्क पोर्टल (Misc fee portal) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल मोड अर्थात डेबिट/क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बेकिंग के माध्यम से ऑनलाइन प्रेपित किया जा सकता है अथवा कुलसचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 के नाग पोस्टल आदेश अथवा डिमांड ड्राफ्ट (केवल दिल्ली/नई दिल्ली में देय) द्वारा प्रेपित किया जा सकता है।
- At the time of submission of the application for issue of Migration Certificate the applicant should submit the photocopy duly self attested of Degree Certificate or Statement of Marks of Final Year or Provisional Certificate (for the particular year) issued by the College last attended by him/her and original certificates for verification. Applicants applying by post/personally may submit a Photo Copy, duly attested, of the said Certificate and the Migration form should be verified by the College/Deptt/Institute last attended along with the Rubber Stamp on it, failing which the application will not be entertained. The applicants for issue of Migration Certificate having enrolment number of North Campus College must apply in the Academic Branch-II of the North Campus whereas those having enrolment number of South Campus College must apply in the Academic Branch of South Delhi Campus. The applications having encolment numbers of Non-Collegiate Womens Education Board and the Non-Formal Education Cell should apply in the offices of the Board and the Examination Branch (North Campus) respectively. प्रवास-प्रमाण-पत्र हेतु प्रार्थना-पत्र देते समय प्रार्थी अपने मृल उपाधि प्रमाण-पत्र या अंक तालिका अथवा कालिज द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र जो कि उसी चालू वर्ष का हो। इसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में समय-समय पर प्रदान किये हैं आवश्यक जाँच हेतु अपने साथ लाये। डाक द्वारा या प्रार्थना-पत्र देने वाले प्रार्थी प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि भेजें एवं फार्म कॉलेज/विभाग/संस्था द्वारा मोहर सहित सत्यापित होना चाहिये। अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जाऐगा। प्रवास-प्रमाण-पत्र लेने वाले प्रार्थी जिनकी विश्वविद्यालय गामांका संख्या उत्तरी
- परिसर महाविद्यालय की है वे उत्तरी परिसर के शैक्षणिक शाखा-11 में आवेदन करेंगे जबकि जिनकी नामांकन संख्या दक्षिणी परिसर महाविद्यालय की है, वे दक्षिणी दिल्ली की शैक्षणिक शाखा में आवेदन देंगे। नान-कालिजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड तथा नान-फार्मल सेल द्वारा प्रदत्त विश्वविद्यालय नामांकन संख्या वाले प्रार्थी क्रमश: बोर्ड तथा परीक्षा विभाग (उत्तरी परिसर) के कार्यालयां में आवेदन करेंगे। Duplicate Migration Certificate can be issued only in case the same has been lost, destroyed or mutilated on submission of a Declaration in person in the prescribed form available in the Academic Branch-II. The applicant will produce original identity proof (any one of the Voter ID Card, Aadhaar Card, Driving Licence, PAN Card & Passport) along with a self-attested copy thereof. इंटिलकेट प्रवास प्रमाणपत्र केवल तभी जारी किया व्यासकता है जब शैक्षणिक शाखा-॥ में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तिगत रूप से प्रमाणपत्र गुम, नष्ट, विकृत हो जाने संबंधी घोषणा प्रस्तुत
- की गई हो। आवेरक मूल पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड तथा पासपोर्ट में से कोई एक) के साथ उसकी स्व-साक्ष्योंकित प्रति भी प्रस्तुत करेगा। Objection letter must be replied within 3 months from the date of issue of letter otherwise University will have no responsibility. आर्पीत पत्र का जवाब पत्र के जारी होने की तिथि वि 🖟 🖟 महीने के भीतर दिया जाना चाहिए अन्यथा विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- Provisional Certificate can be issued only before the date of University Convocation for the particular year. Such students, who apply for issue of Provisional Certificate but their enrolment record is maintained by the Academic Branch (South Delhi Campus) and their result is declared by North Campus, are required to get the particulars of Column no. 1,2 and 3 verified from the Academic Branch (South Delhi Campus) before depositing the fees in the North Campus and Vice-Versa.
 - अनितम प्रमाण-पत्र केवल उस वर्ष विशेष के दीक्षान्त समारोह की तिथि से पहले जारी किया जाएगा। अनितम प्रमाण-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र देने वाले विद्यार्थी, जिनकी विश्वविद्यालय नागांकन संख्या शैक्षणिक शाखा, दक्षिण दिल्ली परिसर के नियंत्रण में है और जिनका परीक्षा फल उत्तरी परिसर से घोषित हुआ है, उन्हें क्रम संख्या 1, 2 और 3 के विवरणों को शैक्षिणिक शाखा, दक्षिण दिल्ली परिसर से पहले प्रमाणित करवाना होगा तभी उत्तरी परिसर में शुल्क जमा होगा। इसकी विपरीत स्थिति में उलट क्रम किया जाए।
- A student, who after completion of course, has migrated from this University to pursue some course in other University and has rejoined University of Delhi for Pursuing any course here, will retain the same enrolment number issued by Delhi University soon after the time of his/her admission in the College/Department.
 - प्रशिक्षण पार्यक्रम समाप्त करने के पश्चात जिस विदार्थी ने इस विश्वविद्यालय से प्रवास प्रमाण-पत्र लेकर किसी अन्य विश्वविद्यालय से कोई पार्यक्रम पूरा किया है अथवा अधूरा छोड़ दिया है और जब पुन: दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लिखा है उसके प्रवेश के तुरन्त बाद अपनी पुरानी नामांकन संख्या ही रहेगी।
- Such students, who seek migration from this University without completing the course will have to submit his/her College/Department leaving certificate in original and undertaking to the effect that he/she surrenders his/her result, duly counter signed by the Principal/Head of the Department. जो विद्यार्थी अपना पार्व्यक्रम अधूरा छोड्कर इस विश्वविद्यालय से प्रवास-प्रमाण-पत्र लेना चाहते हैं उन्हें अपने महाविद्यालय या विभाग से महाविद्यालय त्याजन प्रमाण-पत्र की गूल-प्रति प्रस्तुत करनी होगी। प्राचार्य विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस सम्बंध में शपथबंध देना होगा कि विद्यार्थी ने अपने पूर्व घोषित परिणाम का अध्यर्थन कर दिया है।
- Such students, who apply for issue of medium of Instruction certificate must submit a certificate from the College/Deptt. regarding his/her medium of instruction during the course duly signed by the Principal/H.O.D. प्रशिक्षण माध्यम प्रमाण-पत्र के लिए विद्यार्थी को महाविद्यालय के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के अधोहस्ताक्षरित में प्रशिक्षण माध्यम प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 10. The delivery of the Certificate will ordinarily be made in person to the Candidate or his nominee, on surrendering of Print out of receipt of e-payment. at the University Office during working hours. In case of non-available of e print out the certificate will be posted to his/her postal address at his/her own risk. In respect of candidates who fail to collect the Certificate within one month from the date of payment of fees, the certificate will be sent to their postal address by post at the risk of Applicant. If a candidate wishes that the certificate be sent to him/her by registered post at his/her own risk, he/she should along with the application form submit a self-addressed envelope.
 - प्रभाणपत्र आमतौर पर कार्य-समय के दौरान ई-पुगताह की रसीद का प्रिंट आउट प्रस्तुत करने पर उम्मीदवार अथवा उसके नामांकित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सुपूर्द किया जाएगा। ई-प्रिंट आउट की अनुपलव्यता के मामले में प्रमाणपत्र को उसके डाक पते पर उसके जोखिम पर डाक से प्रेषित किया जाएगा। उन उम्मीदवारों के संबंध में जो फीस के भुगतान की तिथि से एक महीने के भीतर प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विकल रहते हैं, प्रमाणपत्र आवेदक के जोखिम पर उसके डाक पते पर डाक द्वारा ग्रेषित किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार चाहता है कि प्रमाणपत्र उसके जीविम पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाए, तो उसे आवेदन के साथ-साथ एक स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा जमा करना चाहिए।
- 11. All the public dealings are made from 9.30 A.M. to 12.30 P.M. and 1.30 P.M. to 3.00 P.M. and the delivery of the certificate can be claimed after seven working days from the date of deposit of fees. कार्यालय का निर्धारित समय जनसम्पर्क हेतु : 9.30 प्रात: से 12.30 दोपहर और 1.30 बजे से 3.00 बजे तक का है और सर्टिफिकेट लेने का समय शुल्क जमा कराने के एक सप्ताह के वाद
- है (सात कार्य दिवस)। 12. Prescribed Fee for Migration, provisional and Medium of Instruction Certificate etc. is as follows:-

Needed in India Needed abroad Rs. 500/-US\$ 50

Rs 1000/-US\$ 100 अनन्तिम, प्रवास, प्रशिक्षण माध्यम प्रमाण-पत्र आदि के लिए निर्दिष्ट शु भारत में अपेक्षित विदेश में अपेक्षित

₹. 500.00 ₹, 1000,00 US\$ 100

US\$ 50

upto 10 years (from the last examination passed) more than 10 years (from the last examination passed)

(पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने से लेकर 10 वर्ष तक) (पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने के 10 वर्ष उपरान्त)